

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 286/2022

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

मनजीतकौर पत्नी श्री शिवराज सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह उर्फ घुकन सिंह जाति जटसिख सा.ढाबा तहसील संगरिया।
2. हरबंश सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह उर्फ घुकन सिंह जाति जटसिख सा.ढाबा तह.संगरिया।
3. गजन सिंह पुत्र श्री ग्यान सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
4. धूलासिंह पुत्र श्री बरयाम सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
5. गफूर खॉ पुत्र श्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

डिक्री

दिनांक :- 16.2.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी 1, 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 3 बीजीपी

1. मनजीतकौर पत्नी शिवराजसिंह जाति जटसिख सा. ढाबा राहिन पीएनबी शाख ढाबा की कब्जा काशत की भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
212/138	39	11/1/0.127 हैं 17 ता 20/0.253 हैं प्र कुल 1.139 हैं नहरी

2. हरबन्ससिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख सा. ढाबा राहिन पीएनबी शाखा ढाबा की कब्जा काशत की भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
211/138	40	6/0.253
212/138	39	8,10,13/0.253 हैं प्र 14/1/0.126 हैं कुल 1.138 हैं नहरी

3. रूपसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख सा. ढाबा राहिन पीएनबी शाखा ढाबा की कब्जा काशत की भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
212/138	39	2/1/0.228 हैं 2/2/0.025 हैं गै.मु 3/1/0.228 हैं 3/2/0.025 हैं गै.मु 9/0.253 हैं 11/2/0.126 हैं 12/0.253 हैं 14/2/0.127 हैं कुल 1,265 हैं नहरी मय गै. मु

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2025/5234 दिनांक 29.12.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......मुब्लिक......बाबत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...16.2.2024...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया